

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

प्रीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 42 / प्रा.पत्र / 2023
(GCMS No. 2023 / 64)

तारीख दायरा
13.02.2023

तारीख निर्णय
10.07.2024

ओमकारा एसेट्स रिकन्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,
कार्पोरेट आफिस सी / 515 कनाकिया जिल्लौन जंक्शन आफ एलबीएस रोड
एवं सीएसटी रोड, बीकेसी एनेक्स, नियर इक्यूनोक्स, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री किशनलाल मेघवाल पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल
निवासी ग्राम पोस्ट गुमानपुरा,
तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राजस्थान)
2. श्रीमती लाड़बाई पत्नी किशन मेघवाल
निवासी ग्राम पोस्ट गुमानपुरा,
तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री दशरथ सिंह, एडवोकेट।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ओमकारा एसेट्स
रिकन्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 9 एम.पी.नगर, फर्स्ट स्ट्रीट,
कॉंगू नगर एक्स्टेंशन, तिरुपुर, तमिलनाडू में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा गैर बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार ओमकारा एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन लिमि. को सरफेसी एक्ट के तहत प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण कारोबार आरंभ करने हेतु जारी किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाईनेन्स लि. से दिनांक 28.03.2018 को ऋण रूपये 7,21,460/- लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री किशनलाल पुत्र श्रीराम मेघवाल की आवासीय सम्पत्ति मकान पट्टा सं. 6, ग्राम गुमानपुरा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल कुल 1160 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 10.1.2020 को अक्रियान्विति आस्ति NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। तत्पश्चात कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाईनेन्स लि. ने दिनांक 30.03.2020 को जरिये डीड ऑफ असाईमेन्ट प्रार्थी के हक में निष्पादित करते हुए उक्त लोन बाबत समस्त अधिकार एवं दायित्व प्रार्थी कम्पनी ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को असाईन कर दिए, इस प्रकार से उक्त डीड की रूह में प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण से लोन की वसूली करने के लिए विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया रकम 8,32,765/- दिनांक 13.07.2020 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 21.07.2020 जो दिनांक 23.07.2020 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये। साथ ही मांग सूचना दैनिक कंचन केसरी जयपुर हिन्दी समाचार पत्र दिनांक 03.08.2020 एवं Business Standard (New Delhi) न्यूज पेपर में दिनांक 03.08.2020 को प्रकाशित किये जाने के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी/ बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया गया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को

डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके बावजूद भी ऋणी द्वारा राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आस्ति उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA कर दिया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आस्ति क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति श्री किशनलाल पुत्र श्रीराम मेघवाल की आवासीय सम्पत्ति मकान पट्टा सं. 6, ग्राम गुमानपुरा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल कुल 1160 वर्गफीट है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार है, पूर्व में— श्री पप्पू बैरवा का मकान, पश्चिम में— स्वयं की जगह एवं श्री रामहेत का मकान, उत्तर में—श्री गोबरीलाल मेघवाल का मकान, दक्षिण में— श्री रमेश का मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस



जिला मजिस्ट्रेट, बुन्दी

व्यय दिनांक 8/8/23 कोपेराजे

बून्दी को हस्ब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी
ज. म. ज. र. 3. 10/7/24

